न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला–पाली (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत(R.A.S.)

राजस्व विविध संख्या–108 / 2007

तारीख निर्णय– 19 / 03 / 2020

वादीगण

1. भगवतसिंह पुत्र जगदीशसिंह जी, उम्र–37 वर्ष
2. देवीसिंह पुत्र जगदीशसिंह जी, उम्र–22 वर्ष
3. जनक कंवर पत्नि जगदीशसिंह जी, उम्र–55 वर्ष

जातिगण–रावणा राजपूत, निवासीगण–घाणेराव, तहसील–देसूरी, जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार, देसूरी
2. जिला वन अधिकारी, वन विभाग, पाली
3. सचिव महोदय, राजस्थान वन विभाग, जयपुर

–: वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 :–

उपस्थिति–

1– श्री गजेन्द्रसिंह राजावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर से।

2– तहसीलदार, देसूरी

–: निर्णय :– **दिनांक– 19 / 03 / 2020**

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि–वादीगण की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता स्वर्गीय जगदीशसिंह पुत्र मोडसिंह इंडियन एयर फोर्स में जुनियर वारंट ऑफिसर थे। एयर फोर्स मे रेंक अधिकारी को केन्द्रीय व राजस्थान सरकार द्वारा कृषि भूमि नियमानुसार आंवटित होती थी। जिस अनुसार मौजा ग्राम घाणेराव में पडत व काबिल काश्त भूमि खसरा नम्बर–701 में से 15 बीघा बारानी कृषि भूमि सन् 1961 के लगभग आंवटन हुई। जिसके नये खसरा नम्बर 3[illegible] 0.94 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3510 रकबा 1.46 हैक्टर कु[illegible]प पटवारी हल्का घाणेराव की रिपोर्ट, पूरानी जमाबन्दी संवत 20[illegible] 2029 संलग्न है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी पुराने [illegible]र–701 में से 15 बीघा [illegible]नी कृषि

पेज लगातार 02 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

भूमि सन् 1961 के लगभग वादीगण के मृत पिता व उनके बाद वादीगण का लगातार व शान्ति पूर्वक कब्जा–काश्त विद्यमान है। वादीगण के पिता स्व. जगदीश सिंह जी ने अपने जीवनकाल में वादग्रसत आराजी के चारो ओर पत्थर की बाउन्ड्री का निर्माण किया, वादग्रस्त आराजी को समतल व उपजाउ बनाया।

वादग्रस्त आराजी के एक मात्र वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व आधिपत्य की विद्यमान होने से वादग्रस्त आराजी का बहैसियत खातेदार बने रहने व काश्त करने का पूर्व विधिक अधिकार मात्र वादीगण को प्राप्त है। जिसके बावजूद प्रतिवादीगण ने आपसी मिलावट कर गलतरूपेण वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विभाग वन विभाग मे दर्ज कर दिया। बिना किसी अधिकारिता के वन विभाग मे दर्ज कर दी एवम् न ही किसी प्रकार का मुआवजा व क्षतिपूर्ति वादीगण को दी गई। दौराने सेन्टलमेन्ट के वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में वन विभाग प्रतिवादी संख्या–2 का दर्ज कर दिया। जिससे वादीगण को अपनी बहैसियत खातेदार के नाम अमल दरामद करवाना संख्त आवश्यक है।

वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड में प्रतिवादीगण अपने नाम गलत फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी नक्शे में मार्क ए बी सी डी ई एफ जी एच पर विद्यमान वादीगण के बहैसियत खातेदार के कब्जे काश्त मे दखलअंदाजी कर पत्थर की बाउण्ड्री को तोडकर खाई खोदना चाहते है। जिन्हे जरिये निषेधाज्ञा के रोकना अतिआवश्यक है। जिससे वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा व निषेधाज्ञा का पेश है। अतः निवेदन है कि ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 3508 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 3510 में से 1.46 हैक्टर कुल रकबा 2.40 हैक्टर नक्शे ए बी सी डी ई एफ जी एच वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी व आधिपत्य की घोषित की जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में बहैसियत खातेदार के वादीगण का नाम अमल दरामद करवाया जावे। तथा नक्शे में मार्क ए बी सी डी ई एफ जी एच पर विद्यमान वीदगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे। जिस हेतु प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा हेतु जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बाद तलबी के प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त वर्तमान खसरा नम्बर 3508 तथा 3510 मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 701 से मिलकर बने है। उक्त आराजी व[illegible] की भूमि हैं। वर्तमान रिकोर्ड में भी वन विभाग के नाम है।

वादीगण के विवादग्रस्त आराजी पर [illegible] काश्त होने सम्बन्धी जानकारी नही होने से अस्वीकार है। वादीगण के द्वारा [illegible] आवंटित होने सम्बन्धी सनद

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अथवा रिकोर्ड की प्रतिलिपी प्रस्तुत नही की है। वादीगण का कब्जा काश्त 2009 से लगातार होने का प्रमाण नही है अतः एडवर्स पजेशन के आधा पर भी वादीगणो को खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी वन विभाग की है जिससे किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किंये जा सकते है। अतः वादी का वाद निराधार होने से खारिज योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता को केन्द्रीय एवं राजस्थान सरकार द्वारा भूमि आवंटन होने का तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है। प्रतिवादी संख्या 2 को इस प्रकार के किसी भी आवटंन की जानकारी नही है।

. वादीगण के पिता स्व जगदीश सिंह का वादपत्र में दर्शायी वादग्रस्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न ही उन्हे उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है न ही उन्हें उक्त भूमि कभी आवंटित ही हुई थी। मौजा घाणेराव के पुराने खसरा नम्बर 701 के साथ खसरा नम्बर 491, 796, 806, में कुल रकबा 1667.15 बीघा भूमि जंगलात विभाग की खातेदारी दर्ज थी। जो जमाबन्दी संवत 2030–2033 से स्पष्ट तौर पर साबित होता है। मात्र सेटलमेंट विभाग की गलती से किस्म परिवर्तित कर बारानी अव्वल व दोयम काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी गई, जो विधि विरूद्ध है। सम्पूर्ण भारत में वन विभाग की भूमि की किस्म, स्वरूप आदि को परिवर्तित केवल माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात् ही केन्द्र सरकार द्वारा ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।चुॅकि उक्त वादग्रस्त भूमि मारवाड फोरेस्ट एक्ट 1934 के द्वारा जंगलात महकमें में सन 1934 से पूर्व ही घोषित की जा चुकी थी तथा बाद में भी लगातार जंगलात महकमें की भूमि रही है।

वादीगण का यह कथन कि प्रतिवादीगण अपने नाम का गलत का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी में दखलदाजी करना चाहते हैं यह सरासर मनगढंत है। सन् 1934 से लगाय आज दिन तक उक्त वादग्रस्त भमि वन की रही है। वादग्रस्त आराजी पर धोरा–पाली कराने, वृक्षारोपण करने तथा इसका वन उपज के लिए विकास करने का अधिकार प्राप्त है।

वन भूमि को जिला कलेक्टर/ तहसीलदार द्वारा किसी भी व्यक्ति, संस्था को आवंटित करने का अधिकार प्राप्त नही है। विधि व भूल से अथवा सेवन से यदि प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि किसी अन्य को आवंटित कर ली गई हो तो ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है तथा उसे ... प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार के अधिकार, हक–हकूक ... नहीं होते है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वादीगण द्वारा दिनांक 23.01.2009 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जो स्वीकार किया जाकर

पेज लगातार 04 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली).

वादीगण को जवाबुल जवाब हेतु अनुमति दी गई। वादीगण को अवसर देने के बावजूद जवाबबुल जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 27.02.2020 को जवाबुल जवाब का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। वादी के ओर से शहादत पेश नही करने पर पत्रावली प्रतिवादी की शहादत में नियत की गई। प्रतिवादी की से गवाहान भैरूसिंह की शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस एकपक्षीय वकील प्रतिवादीगण की समायत की गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए वाद–पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया जाकर प्रकरण हाजा मे तनकी वाईज विनिश्चय एवं निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी नम्बर– 1 आया वादी वादग्रस्त आराजी में 3508, 3510 में से 2.40 हैक्टर का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है–जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी के पिता इंडियन एयर फोर्स में जुनियर वारंट ऑफिसर होने केन्द्रीय व राजस्थान सरकार द्वारा कृषि भूमि आंवटित होना बताया है। परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्ताबेज व सनद प्रस्तुत नही किया है जिसमें वादीगण के पिता को पुराने खसरा नम्बर 701 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन हुई हो तथा वन विभाग की सम्पति किसी भी व्यक्ति को आवंटित नही की जा सकती है। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादीगणं का वादग्रस्त आराजी में 2009 से लगातार कब्जा काश्त होने सम्बन्धी कथन को अस्वीकार किया है। अतः इन तनकी को प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–2 आया वादी वादग्रस्त आराजी में विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है– जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र के पैरा संख्या– 4 मे वर्णन किये अनुसार एवं वाद–पत्र के अभिवचन अनुसार प्रतिवादीगण अपने नाम गलत फार... कर वादग्रस्त आराजी नक्शे में मार्क ए बी सी डी ई एफ जी... ...हेसियत खातेदार के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करना चाहते है ... वादीगण की पत्थर की बाउण्ड्री को तोडकर खाई खोदना चाहते है। जबकि उ... भूमि सन् 1934 से लगाय आज दिन तक उक्त वादग्रस्त आराजी वन विभाग की रही है। जो राजस्व रिकोर्ड से

पेज लगातार 05 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

स्पष्ट तथा प्रमाणित होता है। जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करने पर उसे भू राजस्व अधिनियम के तहत नियमानुसार बेदखल करने का वन विभाग को अधिकार है। अतः इन तनकी को प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकीं नम्बर –3 वन विभाग के भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा नही दिये जा सकती वाद खारिज किये जाने योग्य है। – प्रतिवादी संख्या 01 व 02

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी सं0–1 पर है एवं प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य, व दस्ताबेज से स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ से ही वन विभाग की रही है। तथा वन विभाग की भूमि की किस्म, स्वरूप आदि को परिवर्तित केवल माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। मात्र सेटलमेन्ट विभाग की गलती से किस्म परिवर्तित कर बारानी अव्वल व दोयम होना भी प्रारम्भ से ही शून्य है। मौजा घाणेराव के पुराने खसरा नम्बर 701 के साथ खसरा नम्बर 491, 796, 806, में कुल रकबा 1667.15 बीघा भूमि जंगलात विभाग की खातेदारी दर्ज थी। जो जमाबन्दी संवत 2030–2033 से स्पष्ट तौर पर साबित होता है। अतः इन तनकी को प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या–1 से 2 व 3 का विनिश्चय व निर्णय वादीगण के विरूद्ध निर्णय किये जाने के फलस्वरूप न्यायालय की राय मे वादीगण का यह वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारीज किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि– वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम–वर्तमान खसरा नम्बर 3508 तथा 3510 मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 701 से मिलकर बने है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य कुम्भलगढ की खातेदारी भूमि है। अतः वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारीज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

सहायक कलेक्टर, (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक– 19/03/2020 को न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

—:डिगरी बमुकदेमें इब्तदाई :—

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत— सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0), देसूरी

बइजलास— श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत(R.A.S)
राजस्व मूल वाद संख्या—108 / 2007
तारीख निर्णय—19 / 03 / 2020

वादी—

1. भगवत्‌सिंह पुत्र जगदीशसिंह जी, उम्र—37 वर्ष
2. देवीसिंह पुत्र जगदीशसिंह जी, उम्र—22 वर्ष
3. जनक कंवर पत्नि जगदीशसिंह जी, उम्र—55 वर्ष

जातिगण—रावणा राजपूत, निवासीगण—घाणेराव, तहसील—देसूरी, जिला—पाली

—: विरूद्ध :—

प्रतिवादीगण—

1. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार, देसूरी
2. जिला वन अधिकारी, वन विभाग, पाली
3. सचिव महोदय, राजस्थान वन विभाग, जयपुर

—: वाद अन्तर्गत धारा—53, 88, 188, 92ए आर0टी0एक्ट :—

मुकदमां नम्बर— राजस्व मूल वाद संख्या—108 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील...........मुद्धई व वकील श्री गजेन्द्रसिंह राजावत मिनजानिब मुद्धायलाहीम पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि—वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम—वर्तमान खसरा नम्बर 3508 तथा 3510 मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 701 से मिलकर बने है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य कुम्भलगढ की खातेदारी भूमि है। अतः वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारीज किया जाता है

बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद वच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल...........++ ......को अदा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 03 सन् 2020

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मोहर

दस्तखत

औहदा.......... सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्दायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी (पाली)

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलायांगया हो नही दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:11:15 IST
Reason: SelfAttested